संख्या-5/2020/13(2)2019/का-1-2020

प्रेषक,

शीतला प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 31 अगस्त, 2020

विषयः-कार्मिक विभाग को परामर्श हेतु पत्रावलियां ई-आफिस के माध्यम से प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश सचिवालय में ई-आफिस व्यवस्था लागू किये जाने विषयक सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13 (विविध) के पत्र संख्या-13/2020/917/20-13-वि0-2020-5(विविध)/2017टी0सी0-9 दिनांक 22.08.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपर्युक्त के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग को परामर्श हेतु ऐसी पत्रावलियां, जिनका ई-आफिस पर इन्ट्रीगेशन (पुराने अभिलेखों/पत्रावलियों की स्कैनिंग/अपलोडिंग) का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन्हें विशिष्ट परामर्शी बिन्दु इंगित करते हुए, स्वतः पूर्ण स्पष्ट टिप्पणी सहित ई-आफिस के माध्यम से ही प्रेषित किया जाय।

भवदीय,
शीतला प्रसाद
विशेष सचिव।

संख्या-5/2020/13(2)2019(1)/का-1/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
4. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
जय प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in